

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 181 /
II-14-1/2024


बिलासपुर, दिनांक 17 / 10 / 2024

“विभिन्न समाचार पत्रों, संचार माध्यमों एवं अन्य माध्यमों से यह जानकारी में आया है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों/संस्थाओं के द्वारा कम समय में रकम दोगुनी करने अथवा अधिक लाभ देने का लालच दिया जाकर जन साधारण को गुमराह किया जा रहा है।

सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह जानकारी दी जाती है कि इस तरह का कोई निवेश अथवा कृत्य “छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवायें (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा आचरण) नियम, 2017 के नियम-10” तथा “छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-17” के अंतर्गत निषेध है एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा “छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966” में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय है।

अतः छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी धोखेबाज व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा कम समय में रकम दोगुनी करने अथवा अधिक लाभ देने के प्रलोभन में आकर अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह की योजनाओं में निवेश करने अथवा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें और सतर्क रहते हुए संभावित धोखे से भी बचें। उल्लंघन की दशा में विधि अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।”

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार


(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल


क्रमांक 16964 /
II-14-1/2024

बिलासपुर, दिनांक 17 / 10 / 2024

प्रतिलिपि-

1. संयुक्त रजिस्ट्रार-सह-पी.पी.एस., छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ,
2. माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर माननीय न्यायमूर्ति महोदय के सूचनार्थ,
3. माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर माननीय न्यायमूर्ति महोदय के सूचनार्थ,
4. माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय अग्रवाल महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर माननीय न्यायमूर्ति महोदय के सूचनार्थ,
5. माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ प्रतीम साहू महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर माननीय न्यायमूर्ति महोदय के सूचनार्थ,

6. माननीया न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे महोदया के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर माननीया न्यायमूर्ति महोदया के सूचनार्थ,
7. माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार व्यास महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर माननीय न्यायमूर्ति महोदय के सूचनार्थ,
8. माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेश कुमार चन्द्रवंशी महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर माननीय न्यायमूर्ति महोदय के सूचनार्थ,
9. माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर माननीय न्यायमूर्ति महोदय के सूचनार्थ,
10. माननीय न्यायमूर्ति श्री सचिन सिंह राजपूत महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर माननीय न्यायमूर्ति महोदय के सूचनार्थ,
11. माननीय न्यायमूर्ति श्री राकेश मोहन पाण्डेय महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर माननीय न्यायमूर्ति महोदय के सूचनार्थ,
12. माननीय न्यायमूर्ति श्री राधाकिशन अग्रवाल महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर माननीय न्यायमूर्ति महोदय के सूचनार्थ,
13. माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर माननीय न्यायमूर्ति महोदय के सूचनार्थ,
14. माननीय न्यायमूर्ति श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर माननीय न्यायमूर्ति महोदय के सूचनार्थ,
15. माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविन्द कुमार वर्मा महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर माननीय न्यायमूर्ति महोदय के सूचनार्थ,
16. माननीय न्यायमूर्ति श्री बिभु दत्ता गुरु महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर माननीय न्यायमूर्ति महोदय के सूचनार्थ,
17. माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेन्द्र किशोर प्रसाद महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर माननीय न्यायमूर्ति महोदय के सूचनार्थ,
18. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
19. रजिस्ट्रार (न्या./विजि./आई.एण्ड ई./एस. एण्ड ए. सेल/कम्प्यूटराईजेशन), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
20. ऑफिसर्स-ऑन-स्पेशल ड्यूटी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
21. डायरेक्टर/एडिशनल डायरेक्टर (सी.एस.जे.ए.), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
22. एडिशनल रजिस्ट्रार (डी.ई./प्रशासन), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
23. समस्त रजिस्ट्रार (एम.)/ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम.), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
24. समस्त एडिशनल रजिस्ट्रार (एम.)/बजट अधिकारी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
25. समस्त डिप्टी रजिस्ट्रार/लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
26. समस्त सहायक रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार (आई.टी.)/कम्प्यूटर प्रोग्रामर/लाईब्रेरियन/कोर्ट मैनेजर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
27. समस्त अनुभाग अधिकारी/निज सचिव/कोर्ट ऑफिसर/प्रोटोकॉल अधिकारी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर- से अनुरोध है कि वे अपने अधीन पदस्थ समस्त कर्मचारियों को इस संबंध में आवश्यक रूप से अवगत करावें,


 (बलराम प्रसाद वर्मा)
 रजिस्ट्रार जनरल